राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान आरएएस
राजस्व वाद स. 98/2019 जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00005

1. मन्नी देवी पत्नी हनुमानाराम
2. हवासिंह पुत्र श्री हनुमानाराम
3. पवन पुत्र श्री हनुमानाराम
4. सीताराम पुत्र श्री हनुमानाराम
5. नगेश कुमार पुत्र श्री हनुमानाराम
6. गीता पुत्री श्री हनुमानाराम
7. खजानी पुत्री श्री हनुमानाराम
8. रोशन पुत्री श्रीहनुमानाराम
9. रोहिताश पुत्र श्री हनुमानाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी सैदपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) **(फौत)**
   9/1. सरोज देवी पत्नी रोहिताश जाति मेघवाल निवासी सैदपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
   9/2. प्रतीक पुत्र श्री रोहिताश जाति मेघवाल निवासी सैदपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
   9/3. पियुष पुत्र श्री रोहिताश जाति मेघवाल निवासी सैदपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

— ब ना म —

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द जाति मेघवाल निवासी सैदपुर
2. चमेली पत्नी सुभाष चन्द जाति मेघवाल निवासी सैदपुर
3. मुकेश पुत्र श्री सुभाष चन्द जाति मेघवाल निवासी सैदपुर
4. राजवीर पुत्र श्री सुभाष चन्द जाति मेघवाल निवासी सैदपुर
5. सन्तोष पुत्री श्री सुभाष चन्द पत्नी जुगनू जाति मेघवाल निवासी ढाणा तन् सिघाना
6. प्रेम देवी पत्नी श्री रघुवीर जाति मेघवाल निवासी सैदपुर
7. कमलेश पुत्र श्री रघुवीर जाति मेघवाल निवासी सैदपुर
8. सुनील पुत्र श्री रघुवीर जाति मेघवाल निवासी सैदपुर
9. सुमन पुत्री श्री रघुवीर पत्नी कर्मवीर जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू(राज.)
10. बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू– अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

दावा– घोषणात्मक एवं खाता विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

:: निर्णय ::

दिनांक –.........

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणात्मक , खाता विभाजन संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि यह कि वाके ग्राम सैदपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 164 रकबा 0.81 हैक्टर ख.न. 196 रकबा 0.02 हैक्टर ख.न. 197 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न 198 रकबा 3.83 हैक्टर किता 4 रकबा 4.72 हैक्टर के 1/2 हिस्सा के खातेदार वादीगण का हकपूर्वाधिकारी हनुमानाराम पुत्र पितराम जाति मेघवाल था जिनकी मृत्यु दिनांक 31.08.2006 को हो चुकी हैं । वादीगण उक्त हनुमानाराम के वारीसान हैं।

वादीगण के हकपूर्वाधिकारी हनुमानाराम की मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तरकरण स. 146 दर्ज किया गया जिसमें वादी स. 5 का नाम नगेश कुमार के स्थान पर बिजेन्द्र दर्ज किया गया तथा वादीया स. 1 का नाम मन्नी देवी के स्थान पर मनड़ी देवी दर्ज कर दिया गया जबकि वादी स. 5 का सही नाम नगेश कुमार हैं तथा वादीया स. 1 का सही नाम मन्नी देवी हैं इस प्रकार वादीया स. 1 एवं वादी स. 5 का नाम गलत दर्ज कर दिया गया हैं वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम हनुमानाराम था जिसको भी राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान दर्ज कर दिया गया हैं।

वादीगण का वाद वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा हैं प्रत्येक का 1/18 – 1/18 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादी स. 6 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा हैं प्रतिवादी स.1 लगायत 5 का 5/12 एवं प्रतिवादी स. 6 लगायत 9 का 1/12 हिस्सा हैं। प्रतिवादी स. 6 लगायत 9 के हकपूर्वाधिकारी रघुवीर की मृत्यु हो चुकी हैं लेकिन अभी तक उसके वारीसान का नाम इस भूमि की खातेदारी मे दर्ज नही हुआ हैं इसलिए प्रतिवादी स. 6 लगायत 9 उसके वारीस होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादी स. 1 लगायत 9 का हिस्सा प्रतिवादी स. 10 के यहॉ रहन हैं वादीगण का हिस्सा भी रहन था लेकिन उन्होने दिनांक 22.04.2019 को इसे रहन मुक्त करवा लिया हैं जिसका प्रमाण पत्र भी वाद पत्र के साथ पेश हैं।

वाद वर्णित भूमि मे वादीगण का 1/2 हिस्सा है। जिस पर वे काबिज हैं लेकिन वादीया स. 1 का नाम मन्नी देवी के स्थान पर मनड़ी देवी दर्ज किया गया हैं तथा वादी स. 5 का नाम नगेश कुमार के स्थान पर बिजेन्द्र दर्ज किया गया हैं जो एक लिपिकीय भूल हैं एवं दुरूस्ति योग्य हैं क्योकि वादीया स. 1 का सही नाम मन्नी देवी एवं वादी स. 5 का सही नाम नगेश कुमार हैं जो राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ति योग्य हैं।

वाद वर्णित भूमि का खाता प्रतिवादी स. 1 लगायत 9 के साथ संयुक्त रहने से वादीगण को अपनी भूमि में कृषि कार्य करने, ऋण आदि लेने मे परेशानी होती हैं इसलिए वादीगण के लिए अपने हिस्से का विभाजन करवाया जाना भी आवश्यक हुआ हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीया स. 1 के समस्त रिकॉर्ड में उसका नाम मन्नी देवी हैं तथा वादी स. 5 का नाम भी सभी रिकॉर्ड मे नगेश कुमार हैं जिस कारण इस भूमि मे ऋण आदि लेने मे नाम की भिन्नता के कारण वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं। अन्त में वादीया स. 1 का नाम मनड़ी देवी के स्थान पर मन्नी देवी तथा वादी स. 5 का नाम बिजेन्द्र के स्थान पर नगेश कुमार दर्ज कर नाम दुरूस्त करने एवं वादीगण 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी स. 1 लगायत 9 से खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादीगण बाद तामिल उपस्थित नही होने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी स. 9 की दावा दायरी के बाद मृत्यु होने से उसके वारीसान को बर्तोर कायम मुकाम पक्षकार बनाया गया हैं।

बहस वादी की ओर से सुनी गई वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया मुताबिक दस्तावेज के वादी स. 5 का नाम नगेश कुमार तथा वादीया स. 1 का नाम मन्नी देवी हैं लेकिन जमाबन्दी में वादीया स. 1 का नाम मनड़ी देवी एवं वादी स. 5 का नाम बिजेन्द्र दर्ज हैं जो दुरूस्ति योग्य हैं। अर्थात् वादीया स. 1 का नाम मनड़ी देवी के स्थान पर मन्नी देवी एवं वादीस. 5 का नाम बिजेन्द्र के स्थान पर नगेश कुमार दर्ज किये जाने योग्य हैं तथा वादीगण का खाता विभाजित किये जाने योग्य हैं।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 09.12.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट क्रमांक 2178 दिनांक 12.07.2023 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

— : आदेश :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाके ग्राम सैदपुर तहसील बुहाना [illegible] ख.न. 164 रकबा 0.81 हैक्टर ख.न. 196 रकबा 0.02 हैक्टर [illegible] 197 रकबा [illegible] हैक्टर ख.न 198 रकबा 3.83 हैक्टर किता 4 रकबा 4.72 हैक्टर भूमि का [illegible] एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त [illegible] "अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ—1 लगायत अ—9'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 20/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:39 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 98/2019 **जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00005**
निर्णय दिनांकः– 20.07.2023

मन्नी देवी आदि **बनाम** कृष्ण कुमार आदि

दावा – घोषणात्मक एवं खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थिति** में व प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **20.07.2023** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" अतः वाके ग्राम सैदपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 164 रकबा 0.81 हैक्टर ख.न. 196 रकबा 0.02 हैक्टर ख.न. 197 रकबा 0.06 हैक्टर ख.न 198 रकबा 3.83 हैक्टर किता 4 रकबा 4.72 हैक्टर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **20.07.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:39 IST
Reason: SelfAttested